रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 2013/वैशाख 26, 1935
No. 238] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2013/VAISAKHA 26, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2013

सं. 28/2013-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 317(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, संतुष्ट होते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा शुल्क, दिनांक 17 मार्च, 2012 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि. 185(अ) दिनांक 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत: : —

उक्त अधिसूचना में, परिशिष्ट में: —

(I) खंड (ग) के उप-खंड (iv) के परंतुक के बाद शर्त सं. 41 के सामने निम्न अंत:स्थापित किया जाएगा:—

'(घ)जहां अनुज्ञप्तिधारी अथवा अनुज्ञप्ति के उपसंविदाकार द्वारा इस प्रकार आयात किये गये माल को अंतरित करने की मांग की जाती है तो आयातकर्ता हस्तांतरण के समय, उपायुक्त, सीमा शुल्क अथवा सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, को निम्न प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:—

(i) पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उपयुक्त माल को अनुज्ञप्तिधारी के अन्य उपसंविदा का अथवा अन्य अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के उपसंविदाकार (तत्पश्चात अंतरिति के रूप में सदंर्भित) के नाम में हस्तांतरित कर दिये गये हैं तथा उपर्युक्त माल की खंड (क) में संदर्भित पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन अथवा माइनिंग लीज के अंतर्गत प्रारंभ किया गया कार्य पेट्रोलियम ऑपरेशन हेतु अपेक्षित है।

(ii) अंतरिति से इस आशय का वचन-पत्र कि इस अधिसूचना की सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है जिसमें यह भी शामिल है कि वह ऐसी किसी डयूटी, दंड अथवा शास्ति जो देय होगी, का भुगतान करेगा, यदि उसके द्वारा इस अधिसूचना की शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है, यहां वह एक अनुज्ञप्तिधारी अथवा अंतरिति की अनुज्ञप्ति द्वारा, जहां ऐसा अंतरिति एक उप संविदाकार है;

(iii) पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाईसेंस अथवा माइनिंग लीज के मामले में, जैसा भी मामला हो, उसे भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा नामांकन आधार पर 1 अप्रैल, 1999 के बाद एक प्रमाण पत्र जारी किया गया अथवा उसका नवीकरण किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी अथवा पट्टाधारी की ओर से, जैसा भी मामला हो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे माल के अंतरण के लिए कोई विदेशी मुद्रा का प्रेषण नहीं किया गया है:-

बशर्ते कि इस उपखंड में अंतर्निहित कोई बात तब लागू नहीं होगी जब तक कि अंतरिति कोई भारतीय कंपनी या कंपनियां हो";

(II) खंड (ग) के उपखंड () के परंतुक के बाद शर्त सं. 43 के सामने निम्न अंत:स्थापित किया जाएगा:—

"(घ) जहां अनुज्ञप्तिधारी अथवा अनुज्ञप्ति के उपसंविदाकार द्वारा इस प्रकार आयात किये गये माल को हस्तांतरित करने की मांग की जाती है वहां आयातकर्ता ऐसे हस्तांतरण के समय, उपायुक्त, सीमा शुल्क अथवा सहायक आयुक्त सीमा शुल्क को निम्न प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:—

(i) पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के किसी विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उपयुक्त माल को संविदाकार के अन्य उपसंविदाकार अथवा अन्य संविदाकार अथवा ऐसे संविदाकार के उपसंविदाकार (तत्पश्चात अंतरिति के रूप में सदंर्भित) के नाम में अंतरित कर दिये गये हैं तथा उपर्युक्त माल की खंड क में संदर्भित संविदा के अंतर्गत पेट्रोलियम ऑपरेशन हेतु अपेक्षित है।

(ii) अंतरिति से इस आशय का बचन-पत्र कि इस अधिसूचना की सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है जिसमें यह भी शामिल है कि वह ऐसी किसी डयूटी, दंड अथवा शास्ति जो देय होगी, का भुगतान करेगा यदि उसके द्वारा इस अधिसूचना की शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है, यहां वह एक संविदाकार अथवा अंतरिति के संविदाकार द्वारा, जहां ऐसा अंतरिति एक उप संविदाकार है;

(iii) भारत सरकार तथा किसी विदेशी कंपनी अथवा कंपनियों अथवा भारत सरकार तथा किसी भारतीय कंपनी अथवा कंपनियों और किसी विदेशी कंपनी अथवा कंपनियों के संघ द्वारा की गई संविदा के मामले में इस आशय का प्रमाण पत्र कि अंतरिति द्वारा ऐसे माल के हस्तांतरण के लिए विदेशी कंपनी अथवा कंपनियों की ओर से, जैसा भी मामला हो, द्वारा कोई विदेशी मुद्रा प्रेषण नहीं की गई है;

बशर्ते इस उपखंड में अंतर्निहित कोई बात तब लागू नहीं होगी जब तक कि अंतरिति कोई भारतीय कंपनी या कंपनियां हो।"

(III) खंड (ग) के उपखंड (iv) के परंतुक के बाद शर्त सं. 44 के सामने निम्न अंत:स्थापित किया जाएगा;—

"(घ) जहां अनुज्ञप्तिधारी अथवा अनुज्ञप्ति के उपसंविदाकार द्वारा इस प्रकार आयात किये गये माल को अंतरित करने की मांग की जाती है वहां आयाकर्ता ऐसे अंतरण के समय, उपायुक्त, सीमा शुल्क अथवा सहायक आयुक्त सीमा शुल्क को निम्न प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:—

(i) पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के किसी विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उपयुक्त माल को संविदाकार के अन्य उपसंविदाकार अथवा अन्य संविदाकार अथवा ऐसे संविदाकार के उपसंविदाकार (तत्पश्चात अंतरिति के रूप में सदंर्भित) के नाम में अंतरित कर दिये गये हैं तथा उपर्युक्त माल की खंड क में संदर्भित संविदा के अंतर्गत पेट्रोलियम ऑपरेशन अथवा कोल बेड मिथेन ऑपरेशन, जैसा भी मामला हो, के कार्य हेतु अपेक्षित है।

(ii) अंतरिति से इस आशय का बचन-पत्र कि इस अधिसूचना की सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है जिसमें यह भी शामिल है कि वह ऐसी किसी डयूटी, दंड अथवा शास्ति जो देय होगी, का भुगतान करेगा यदि उसके द्वारा इस अधिसूचना की शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है, यहां वह एक संविदाकार अथवा अंतरिति के संविदाकार द्वारा, है जहां ऐसा स्थानांतरी एक उप संविदाकार है;

(iii) भारत सरकार तथा किसी विदेशी कंपनी अथवा कंपनियों अथवा भारत सरकार तथा किसी भारतीय कंपनी अथवा कंपनियों और किसी विदेशी कंपनी अथवा कंपनियों के संघ तथा विदेशी कंपनी अथवा कंपनियों द्वारा संविदा के मामले में से इस आशय का प्रमाण पत्र कि विदेशी कंपनी अथवा कंपनियों की ओर से, जैसा भी मामला हो, अंतरिति द्वारा लिए गए ऐसे माल के हस्तांतरण के लिए कोई विदेशी मुद्रा प्रेषण नहीं किया गया है:

बशर्ते कि इस उपखंड की कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक उप संविदाकार कोई भारतीय कंपनी या कंपनियां हों''।

[फा. सं. बी1/20/2013-टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

टिप्पण:—मूल अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा-शुल्क, दिनांक 17 मार्च, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 185(अ), दिनांक 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 27/2013-सीमा-शुल्क, दिनांक 10 मई, 2013 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप-खंड-(i) में सा.का.नि. 301(अ), तारीख 10 मई, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी जो अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2013

No. 28 /2013-Customs

G.S.R. 317(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012, namely:—

In the said notification, in the ANNEXURE,-

(I) against Condition No. 41, in clause (c), in sub-clause (iv), after the proviso, the following shall be inserted, namely:—

"(d) where the goods so imported by the licensee or a sub-contractor of the licensee are sought to be transferred, the importer produces to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of such transfer, the following, namely:—

(i) a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the said goods may be transferred in the name of another sub-contractor of the licensee or another licensee or a sub-contractor of such licensee (hereinafter referred to as the "transferee") and that the said goods are required for petroleum operations to be undertaken under petroleum exploration or mining leases referred to in clause (a);

(ii) undertaking from the transferee to comply with all the conditions of the notification, including that he shall pay duty, fine or penalty that may become payable, if any of the conditions of the notification are not complied with by himself, where he is the licensee or by the licensee of the transferee, where such transferee is a sub-contractor;

(iii) a certificate, in the case of a petroleum exploration license or mining lease, as the case may be, issued or renewed after the 1st of April, 1999, by the Government of India or any State Government on nomination basis, that no foreign exchange remittance is made for the transfer of such goods undertaken by the transferee on behalf of the licensee or lessee, as the case may be:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply if such transferee is an Indian Company or Companies.";

(II) against Condition No. 43, in clause (c), in sub clause (iv), after the proviso, the following shall be inserted, namely:—

"(d) where the goods so imported by the contractor or a sub-contractor of the contractor are sought to be transferred, the importer produces to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of such transfer, the following, namely:—

(i) a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the said goods may be transferred in the name of another sub-contractor of the contractor or another contractor or a sub-contractor of such contractor (hereinafter referred to as the "transferee") and that the said goods are required for petroleum operations to be undertaken under a contract referred to in clause (a);

(ii) undertaking from the transferee to comply with all the conditions of the notification, including that he shall pay duty, fine or penalty that may become payable, if any of the conditions of the notification are not complied with by himself, where he is the contractor or by the contractor of the transferee, where such transferee is a sub-contractor;

(iii) a certificate, in the case of a contract entered into by the Government of India and a Foreign Company or Companies or, the Government of India and a consortium of an Indian Company or Companies and a Foreign Company or Companies, that no foreign exchange remittance is made for the transfer of such goods undertaken by the transferee on behalf of the Foreign Company or Companies, as the case may be:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply if such transferee is an Indian Company or Companies.";

(III) against Condition No. 44, in clause (c), in sub clause (iv), after the proviso, the following shall be inserted, namely:—

"(d) where the goods so imported by the contractor or a sub-contractor of the contractor are sought to be transferred, the importer produces to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of such transfer, the following, namely:-

(i) a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the said goods may be transferred in the name of another sub-contractor of the contractor or another contractor or a sub-contractor of such contractor (hereinafter referred to as the "transferee") and that the said goods are required for such petroleum operations or coal bed methane operations, as the case may be, to be undertaken under a contract referred to in clause (a);

(ii) undertaking from the transferee to comply with all the conditions of the notification, including that he shall pay duty, fine or penalty that may become payable, if any of the conditions of the notification are not complied with by himself, where he is the contractor or by the contractor of the transferee, where such transferee is a sub-contractor;

(iii) a certificate, in the case of a contract entered into by the Government of India and a Foreign Company or Companies or, the Government of India and a consortium of an Indian Company or Companies and a Foreign Company or Companies, that no foreign exchange remittance is made for the transfer of such goods undertaken by the transferee on behalf of the Foreign Company or Companies, as the case may be:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply if such transferee is an Indian Company or Companies.".

[F. No. B1/20/2013-TRU]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Note.— The principal notification No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012 and last amended *vide* notification No-. 27/2013-Customs, dated the 10th May, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.301 (E), dated the 10th May, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2013

सं. 11/2013-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 318 (अ).—जबकि अभिहित प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य और जापान में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यातित परोक्सोसल्फेट (परसल्फेट्स) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 28334000 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में अधिसूचना सं. 15/9/2011-डीजीएडी, तारीख 13 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 13 मार्च, 2012, के द्वारा प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 96/2007-सीमाशुल्क, तारीख 29 अगस्त, 2007, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 567 (अ) तारीख 29 अगस्त, 2007 के द्वारा प्रकाशित के साथ पठित अधिसूचना संख्या 20/2012- सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 4 अप्रैल, 2013 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में सा.का.नि. 287 (अ) तारीख 4 अप्रैल, 2013, के द्वारा प्रकाशित की गई थी के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के संबद्ध में, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी ।

और जबकि अभिहीत प्राधिकारी, अपने सनसेट समीक्षा के अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं. 15/9/2011-डीजीएडी, तारीख 12 मार्च, 2013, जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 12 मार्च, 2013 में प्रकाशित हुई, के इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

(क) चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु का सतत पाटन हो रहा है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने की संभावना है;

(ख) चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही है और पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है । यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाता है तो संबद्ध वस्तु के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रह सकती है ;

(ग) जहां तक जापान का संबंद्ध है, तथापि, विश्वभर में संबद्ध वस्तु के जापानी निर्यातों की मात्रा और कीमत को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन होने और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की संभावना है;

और भारत में आयात होने वाले संबंद्ध देशों से उदगमित या वहां से निर्यातित संबद्ध माल पर निम्नलिखित तालिका में यथा विनिर्दिष्ट निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने की सिफारिश की थी;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) एवं (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार अभिहित प्राधिकारी के पूर्वाक्त निष्कर्षों के आधार पर, अद्योलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देश में उदगमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, ऐसे मामलों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, तो उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में इंगित संदर्भ राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है ।

सारणी

क्र	टैरिफ मद	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उदगम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2833 40 00	पेरोक्सोसल्फेट्स या परसल्फेट्स	अमोनियम परसल्फेट्स, पोटैशियम परसल्फेट्स या सोडियम परसल्फेट्स	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	कोई	कोई	420	मी. टन	अम. डा.
2	2833 40 00	पेरोक्सोसल्फेट्स या परसल्फेट्स	अमोनियम परसल्फेट्स, पोटैशियम परसल्फेट्स या सोडियम परसल्फेट्स	चीन जन. गण.	कोई	कोई	कोई	420	मी. टन	अम. डा.
3	2833 40 00	पेरोक्सोसल्फेट्स या परसल्फेट्स	अमोनियम परसल्फेट्स, पोटैशियम परसल्फेट्स या सोडियम परसल्फेट्स	कोई	चीन जन. गण.	कोई	कोई	420	मी. टन	अम. डा.
4	2833 40 00	पेरोक्सोसल्फेट्स या परसल्फेट्स	अमोनियम परसल्फेट्स, पोटैशियम परसल्फेट्स या सोडियम परसल्फेट्स	जापान	जापान	कोई	कोई	822	मी. टन	अम. डा.
5	2833 40 00	पेरोक्सोसल्फेट्स या परसल्फेट्स	अमोनियम परसल्फेट्स, पोटैशियम परसल्फेट्स या सोडियम परसल्फेट्स	जापान	कोई	कोई	कोई	822	मी. टन	अम. डा.
6	2833 40 00	पेरोक्सोसल्फेट्स या परसल्फेट्स	अमोनियम परसल्फेट्स, पोटैशियम परसल्फेट्स या सोडियम परसल्फेट्स	कोई	जापान	कोई	कोई	822	मी. टन	अम. डा.

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष के लिए (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता, इसका अधिक्रमण या इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है तो) प्रभावी होगा ।

3. यह प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर

जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनिमय दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा.सं. 354/32/2007-टीआरयू (भाग-I)]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2013

No. 11 /2013-Customs (ADD)

G.S.R. 318(E).—Whereas, the designated authority vide notification No. 15/9/2011-DGAD, dated the 13th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 13th March, 2012, had initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Peroxosulphates (Persulphates), falling under tariff-item 28334000 of the First Schedule to the Customs Tariff Act (hereinafter referred to as the subject goods), originating in, or exported from the People's Republic of China (China PR) and Japan (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 96/2007-Customs, dated the 29th August, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 567 (E), dated the 29th August, 2007, read with notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 20/2012-Customs (ADD), dated the 4th April, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 287 (E), dated the 4th April, 2012;

And whereas the designated authority, in its final findings in Sunset Review vide notification No. 15/9/2011-DGAD, dated the 12th March, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 12th March, 2013, has come to the conclusion that—

(a) there has been continued dumping of the subject goods from China PR and the dumping is likely to continue, if the anti-dumping duty is allowed to cease;

(b) the subject goods are entering the Indian market at dumped prices from China PR and the dumping margin is above de-minimis and should the present anti-dumping duties be revoked, dumping of the subject goods may continue causing injury to the domestic industry;

(c) as regards the country of Japan, considering the magnitude and price of Japan's exports of subject goods world over, in the event of revocation of anti-dumping duty, the subject goods are likely to be dumped in India causing injury to the domestic industry,

and has recommended continued imposition of definitive anti-dumping duty on such rates on imports of the subject goods originating in, or exported from, the subject countries, as specified in the Table therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings and recommendation of the designated authority, hereby imposes on the goods, the description of which is specified in column (3) of the following Table, specification of which is specified in column (4) of the said Table, falling under Tariff-item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country specified in the corresponding entry in column (5), exported from the country specified in the corresponding entry in column (6), produced by the producer specified in the corresponding entry in column

(7), exported by the exporter specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10) of the aforesaid Table, namely:—

TABLE

S. No.	Tariff-item	Description of goods	Specification	Country of	Country of exports	Producer	Exporter	Duty amount	Unit	Currency
(1)	(2)	3	(4)	(5	(6)	(7)	(8	(9)	(10)	(11)
1.	2833 40 00	Peroxosulphates or Persulphates	Ammonium Persulphates, Potassium Persulphates or Sodium Persulphates	China PR	China PR	Any	Any	420	MT	US $
2	2833 40 00	Peroxosulphates or Persulphates	Ammonium Persulphates, Potassium Persulphates or Sodium Persulphates	China PR	Any	Any	Any	420	MT	US $
3	2833 40 00	Peroxosulphates or Persulphates	Ammonium Persulphates, Potassium Persulphates or Sodium Persulphates	Any	China PR	Any	Any	420	MT	US $
4	2833 40 00	Peroxosulphates or Persulphates	Ammonium Persulphates, Potassium Persulphates or Sodium Persulphates	Japan	Japan	Any	Any	822	MT	US $
5	2833 40 00	Peroxosulphates or Persulphates	Ammonium Persulphates, Potassium Persulphates or Sodium Persulphates	Japan	Any	Any	Any	822	MT	US $
6	2833 40 00	Peroxosulphates or Persulphates	Ammonium Persulphates, Potassium Persulphates or Sodium Persulphates	Any	Japan	Any	Any	822	MT	US $

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, amended and superseded earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be payable in Indian currency.

Explanation.— For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962(52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F.No. 354/32/2007-TRU (Pt.-I)]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054